प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 06.11.2020 जनपद देवरिया

दिनांक 05.11.2020 को पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा कच्ची शराब के निष्कर्षण एवं विक्रय पर अंकुश लगाने व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उनके विरूद्ध जनपद देवरिया मे अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही किया गया जिसके परिप्रेक्ष्य में-

01.आबकारी अधिनियम के अंतर्गत:-

➡**थाना बरहज** पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त **01.गंगा सागर पुत्र रामआधार सा0 बनकटिया बरछौली थाना बरहज, देवरिया** गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया। इसके अतिरिक्त 01 अभियुक्त **01.रामजतन यादव पुत्र स्व0 श्यामदेव सा0 उपरोक्त** गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

02.थाना कोतवाली पुलिस द्वारा एक अदद वाहन ट्रक से 28 राशि गोवंशीय पशु के साथ 06 अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया-

दिनांक 05.11.2020 को थानाध्यक्ष कोतवाली मय टीम देखभाल क्षेत्र, रोकथाम अपराध, तालाश वांछित अभियुक्त हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि मुखबिर की सूचना पर माधवपुर मोड़ के पास से 01 अद्द 12 चक्का ट्रक नम्बर अस्पष्ट में क्रुरता पूर्वक लदे गोवंशीय पशु जिसमें से 06 राशि गाय व 20 राशि बैल/बछड़ा जिन्दा व 02 राशि गाय मृत अवस्था में कुल 28 राशि लदे हुए पकड़े गये। बरामद पशुओं व वाहन को कब्जे में लेते 06 व्यक्तियो को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों से नाम पता पूछने पर अपना नाम व पता 01.अजीत उर्फ गोलू कुमार पुत्र कन्हैया लाल सा0 मोहम्मदपुर थाना बिलरियागंज, आजमगढ 02.रामसिंह पुत्र रमेश सा0 चकलालचन्द थाना जियनपुर, आजमगढ़ 03.अबु हसन पुत्र जमशेद धुनिया 04.जमालुददीन अहमद पुत्र फैय्याज सा0 हिरनई गुलीगढ़ थाना रौनापार, आजमगढ़ 05.सेराज अली पुत्र स्व0 अलीअहमद सा0 बारूढ़ा थाना जलालपुर, जिला जौनपुर 06.मो0 वुफा पुत्र मो0 इमरान सा0 हसनडीह थाना अहिरौला, आजमगढ़ के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 3/5ए /8 गोवध निवारण व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

03. थाना तरकुलवा पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध देशी कट्टा व 01 अदद जिन्दा कारतूस के साथ 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया:-

दिनांक 05.11.2020 को थानाध्यक्ष तरकुलवा के देखभाल क्षेत्र, रोकथाम अपराध, तालाश वांछित अभियुक्त हेतु क्षेत्र मे भ्रमणशील थे, कि मुखबिर से सूचना पर कोनवलिया तिराहा के पास से एक व्यक्ति को 01 अदद अवैध देशी कट्टा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से नाम पता पूछने पर अपना नाम व पता 01.अमित कुमार भारद्वाज पुत्र खूबलाल सा0 सहबाजपुर थाना रामपुर कारखाना, देवरिया बताया। गिरफ्तार अभियुक्त के 01 अदद अवैध देशी कट्टा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद करते हुये पुलिस द्वारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

04. थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध देशी कट्टा व 02 अदद जिन्दा कारतूस के साथ 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया:-

दिनांक 05.11.2020 को थानाध्यक्ष कोतवाली के देखभाल क्षेत्र, रोकथाम अपराध, तालाश वांछित अभियुक्त हेतु क्षेत्र मे भ्रमणशील थे, कि मुखबिर से सूचना पर माधवपुर मोड़ के पास से एक व्यक्ति को 01 अदद अवैध देशी कट्टा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से नाम पता पूछने पर अपना नाम व पता 01.रामसिंह पुत्र रमेश राम सा0 चकलालबंद थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ बताया। गिरफ्तार अभियुक्त के 01 अदद अवैध देशी कट्टा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद करते हुये पुलिस द्वारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

05.थाना रुद्रपुर पुलिस द्वारा तीन व्यक्तियों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गयाः-

दिनांक 05.11.2020 को थानाध्यक्ष रुद्रपुर मय हमराही क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति सेमरौना बंधा के पास में जुआ खेल रहे है यदि जल्दी किया जाय तो पकडा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम द्वारा बताये गये पते पर दबिस दिया गया जहाँ तीन लोग पुलिस को देखकर भागने लगे जिन्हे पुलिस टीम द्वारा दौडाकर पकड लिया गया। पकडे गये व्यक्तियों से नाम पता पूछने पर अपना नाम 01.बासुदेव गुप्ता पुत्र राधेश्याम सा0 खजुहा चैराहा थाना रूद्रपुर देवरिया 02.उजाला मद्धेशिया पुत्र प्रेम सा0 शिवाला वार्ड थाना रूद्रपुर, देवरिया 03.सुरेन्द्र राजभर पुत्र भोला सा0 गोला वार्ड थाना रूद्रपुर देवरिया बताये व उनके कब्जे से तास के 52 पत्ते व माल फड-260 रू0 बरामद किया गया। इस सम्बन्ध मे थाना रुद्रपुर पर अपराध धारा 13 जुआ अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की जा रही है।

06.वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारीः-

दिनांक **05.11.2020** को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा 02 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनका विवरण निम्नवत हैः

➡ थाना सलेमपुर- मु0अ0सं0-202/2020 धारा 302 भादवि 01.छोटे यादव उर्फ मनीष यादव पुत्र रामजी सा0 मुजुरी खुर्द थाना खुखुन्दू, देवरिया।

➡ थाना कोतवाली- मु0अ0सं0-257/2020 धारा 147,384,323,336,352,504,506 भादवि 01.अभिषेक गुप्ता उर्फ छोटू पुत्र रमेश बिहारी सा0 राघवनगर थाना कोतवाली, देवरिया।

07. निरोधात्मक कार्यवाही-

दिनांक 05.11.2020 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है-

➡ जनपदीय पुलिस द्वारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत 15 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

08. जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही-

दिनांक 05.11.2020 को जनपदीय पुलिस द्वारा शातिर अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरूद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

➡ वाहन चेकिंग के दौरान 149 वाहनों से 149000 रूपये शमन शुल्क (ई-चालान) किया गया।